"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 184-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2002—श्रावण 4, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-68/2002/वाक/पांच (86).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-44-2000-विक-पांच (80), दिनांक 12-10-2000 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

अधिसूचना की भूमिका में शब्द "ग्रामोद्योग" के स्थान पर शब्दों "ग्रामोद्योग, जिनका वार्षिक विक्रय रुपये दस लाख से अधिक न हो," को प्रतिस्थापित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-68/2002/वाक/पांच (86).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2002/वाक/पांच (86), दिनांक 26-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 26th July 2002

NOTIFICATION

No. F-10-68/2002/CT/V (86).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby amends this departmental Notification No. A-3-44-2000-ST-V (80), dt. 12-10-2000, as given below :—

AMENDMENT

In the preamble in the Notification, for the word "village industries", the words "village industries, whose annual turnover does not exceed rupees ten lacs," shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-69-/2002/वाक/पांच (87).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को धारा 10-क के अंतर्गत कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	खुली चाय	पूर्ण कर

स्पष्टीकरण :— "खुली चाय" के अभिप्रेत है 20 किलोग्राम या उससे अधिक के पैकेज, बल्क में अर्थात् 20 किलोग्राम या उससे अधिक के पैकेज में छोटे पैकेज में नहीं रखा गया हो, में विक्रय की जाने वाली चाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-69/2002/वाक/पांच (87).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-69/2002/वाक/पांच (87), दिनांक 26-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 26th July 2002

NOTIFICATION

No. F-10-69/2002/CT/V (87).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under section 10-A to the extent specified in column (3) with effect from the date of publication in the Gazette to 31-3-2003.

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Loose Tea	Whole of Tax

Explanation :—"Loose tea" means tea sold in bulk packages of 20 kilograms and above i.e. not in smaller packets within the package of 20 kilograms or more.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-69/2002/वाक/पांच (88).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	खुली चाय	पूर्ण कर

स्पष्टीकरण :—"खुली चाय" के अभिप्रेत है 20 किलोग्राम या उससे अधिक के पैकेज, वल्क में अर्थात् 20 किलोग्राम या उससे अधिक के पैकेज में छोटे पैकेज में नहीं रखा गया हो, में विक्रय की जाने वाली चाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-69/2002/वाक/पांच (88).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-69/2002/वाक/पांच (88), दिनांक 26-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 26th July 2002

NOTIFICATION

No. F-10-69/2002/CT/V (88).—In exercise of powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule given below from the payment of tax under the said Adhiniyam from the date of publication in Gazette to 31st March, 2003, to the extent specified in column (3) of the Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Loose Tea	Whole of Tax

Explanation :—"Loose tea" means tea sold in bulk packages of 20 kilograms and above i.e. not in smaller packets within the package of 20 kilograms or more.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.